प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 04.08.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 मोटरसाइकिल, 02 स्कूटी व मोटरसाइकिल के पार्टस बरामद ।

आज दिनांक 04.08.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण 1. सुल्तान उर्फ मुस्तफा पुत्र सलाउद्दीन निवासी अशोक विहार बाबू होटल वाली गली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 2. रहीसुद्दीन पुत्र रहमत निवासी पूजा कालोनी खुशहाल पार्क लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष 3. अल्लाउद्दीन खान उर्फ भूरा पुत्र शाहिद निवासी पूजा कालोनी खुशहाल पार्क लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष 4. रिंकू पुत्र पूरन निवासी राहुल विहार खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को संत नगर बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी की गई 05 मोटरसाइकिलें, 02 स्कूटी तथा मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्टस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2)/317(5)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब हम चारों लोग मिल कर दिल्ली व यूपी में अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी करते है। हमारे द्वारा ये मोटरसाइकिलें व स्कूटी रैकी करके मौका पाकर अलग-अलग स्थानों से चोरी की गयी है। साहब हम लोगो ने काफी मोटरसाइकिलें चोरी करने के बाद उन्हें काट कर बेच दिया है। हम लोग इन मोटरसाइकिलों व स्कूटी को भी काटकर बेचने की फिराक में थे कि आपके द्वारा हमें पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. सुल्तान उर्फ मुस्तफा पुत्र सलाउद्दीन निवासी अशोक विहार बाबू होटल वाली गली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
2. रहीसुद्दीन पुत्र रहमत निवासी पूजा कालोनी खुशहाल पार्क लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष
3. अल्लाउद्दीन खान उर्फ भूरा पुत्र शाहिद निवासी पूजा कालोनी खुशहाल पार्क लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष
4. रिंकू पुत्र पूरन निवासी राहुल विहार खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की 05 मोटरसाइकिलें, 02 स्कूटी तथा मोटरसाइकिल के पार्टस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त सुल्तान उर्फ मुस्तफा उपरोक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग आयुध अधि0, थाना लोनी पर 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट, थाना अंकुर विहार पर चोरी/ बरामदगी के 04 अभियोग व दिल्ली में चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त रहीसुद्दीन उपरोक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी/ बरामदगी के 04 अभियोग व दिल्ली में चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त अल्लाउद्दीन उपरोक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी/ बरामदगी के 04 अभियोग व दिल्ली में चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त रिंकू उपरोक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी/ बरामदगी के 04 अभियोग व दिल्ली में चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-.

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उनके परिजनों की तलाश कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में चलने वाली डायल-112 की पीआरवी द्वारा केडी पब्लिक स्कूल के पास अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र करीब 80 वर्ष है को थाने पर लाया गया, अधिक उम्र होने व मानसिक रुप से स्वस्थ न होने के कारण वे अपने घर का पता नही बता पा रही थी केवल अपना नाम बता पा रही थी। बुजुर्ग महिला के घर व परिजनों का पता लगाने हेतु थाना स्तर से टीम का गठन करते हुए आसपास जानकारी कर अथक प्रयास के उपरान्त उनके घर का पता मिल गया तथा उनके परिजनों को सूचना दी गयी, परिजन गुम हुई बुजुर्ग महिला को पाकर काफी खुश हुए।

बुजुर्ग महिला के पोते द्वारा बताया गया कि मेरी दादी की उम्र करीब 80 वर्ष है तथा मानसिक रुप से भी अस्वस्थ है, जिस कारण ये अकसर घर से बिना बताये आस पास चली जाती है तथा जिनको आस पास से ढूंढकर घर ले आते थे, परन्तु 02 दिन पहले शाम के समय ये घर से निकल गयीं, जिनको हमने काफी ढूंढने का प्रयास किया, आस पास काफी तलाश किया गया नहीं मिलीं, हमारा परिवार उनके चले जाने से काफी दुखी था, परन्तु पुलिस के प्रयास से आज मेरी दादी श्रीमती सुमित्रा देवी हमें वापस मिल गयी है, जिससे हमारे परिवार में काफी खुशी है।

"साइबर चौपाल" अभियान अन्तर्गत साइबर सुरक्षा जागरूकता संगोष्ठी

पुलिस कमिश्नर श्री जे. रविन्दर गौड़ के निर्देशानुशार "साइबर चौपाल" अभियान अन्तर्गत सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम श्री अभिषेक श्रीवास्तव और थाना कौशांबी पुलिस द्वारा जैन मंदिर वैशाली सेक्टर 3 में एक संगोष्ठी कार्यक्रम

का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जनता को साइबर अपराधों की घटनाओं से सतर्क करना और आम जनमानस में विशेष जागरुकता निर्माण करना। इस संगोष्ठी में सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम श्री अभिषेक श्रीवास्तव ने लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जागरूकता से साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। इस दौरान लोगों के लिए कुछ आवश्यक गाइडलाइंस भी जारी की गई। सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम श्री अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं उनसे बचाव के लिए आम नागरिक सीनियर सिटीजन, RWA, व्यापारी को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस टीम के साथ एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह अभियान सतत रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सर्किल इन्दिरापुरम क्षेत्र में लोगों के साथ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन समय-समय पर किया जाएगा।

संगोष्ठी में वर्तमान समय में हो रहे नए-नए साइबर अपराधों से लोगों को अवगत कराया गया तथा उनसे बचने के उपायों की बारे में भी बताया गया यह भी समझाया गया कि साइबर ठगी होने पर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए और इससे बचाव हेतु क्या सावधानी रखनी चाहिए। नागरिकों को बताया गया की साइबर अपराधी फर्जी ई-चालान नौकरी के झांसे बैंक वेरीफिकेशन लालच भरी योजनाएं जैसी भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से लोगों की बैंक डिटेल और व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर ठगी करते हैं। पुलिस टीम द्वारा नागरिकों को साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी दी गई।

जागरूकता अभियान भविष्य में निरंतर जारी रहेगा ताकि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सृजित किया जा सके संदिग्ध साइबर गतिविधि या ऑनलाइन ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। इस संगोष्ठी में सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम एवं थाना प्रभारी कौशाम्बी तथा साइबर सैल थाना कौशाम्बी के पुलिस कर्मी व डॉ नमित वार्ष्णेय, मोहन दास, महिम जैन, संजीव वर्मा आदि उपस्थित रहे।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 सिलेण्डर व सफेद धातु के 04 बर्तन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 03.08.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान घरों में घुसकर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त मोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी सफेद गेट वाली गली भौपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को कोयल एन्कलेव के गेट के पास से चोरी का 01 सिलेण्डर व सफेद धातु के 04 बर्तन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मोनू पुत्र चन्द्रपाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर धारा 305,331(4) बीएनएस के अन्तर्गत 02 अभियोग पंजीकृत है। पंजीकृत अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मोनू पुत्र चन्द्रपाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने करीब दो माह पहले इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी से रात में ताला लगे हुए दो घरों से दो सिलेण्डर, एलईडी टीवी, घरेलू सामान, चाँदी के बर्तन व 20 हजार रूपये चोरी किये थे। जिसमें से कुछ सामन अभियुक्त उपरोक्त ने रहा चलते व्यक्तियों को बेच दिया। अभियुक्त उपरोक्त बाकी बचे सामान को बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी सफेद गेट वाली गली भौपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी का 01 सिलेण्डर व सफेद धातु के 04 बर्तन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त मोनू पुत्र चन्द्रपाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी के 04 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 07 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

गाज़ियाबाद पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा आधुनिक पेट्रोलिंग बाइक्स को हरी झंडी दिखा कर किया रवाना – पुलिस की दृश्यता और त्वरित कार्यवाही को मिलेगी मजबूती।

गाज़ियाबाद पुलिस आयुक्त श्री जे. रविन्द्र गौड़ महोदय द्वारा आज तकनीकी रूप से उन्नत 20 पेट्रोलिंग मोटर साइकिल्स को औपचारिक रूप से रवाना किया। इन दो पहिया वाहनों को पुलिस आयुक्त गाज़ियाबाद महोदय द्वारा थाना इंदिरापुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन मॉडिफाइड वाहनों का उद्देश्य शहर में पुलिस की उपस्थिति को और अधिक सशक्त बनाना है, विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में। यह पहल पुलिस विभाग द्वारा अपने बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और नागरिकों की सुरक्षा हेतु तकनीकी नवाचार अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा, "ये नई दो पहिया वाहन केवल एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि हमारी तत्परता और नागरिकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस ये वाहन हमारी गश्त की क्षमता को बढ़ाएंगे और असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने में मदद करेंगे।"

इन बाइक्स की प्रमुख विशेषताएंः-

- **हाई-विजिबिलिटी लाइटिंग:-** सभी बाइक्स में तेज़ एलईडी ब्लिंकर, इंटीग्रेटेड पुलिस बीकन और रिफ्लेक्टिव मार्किंग लगी हैं, जिससे दिन और रात दोनों समय में इनकी दृश्यता अधिक हो जाती है।
- **पब्लिक एड्रेस सिस्टम:-** बाइक्स में कॉम्पैक्ट पीए सिस्टम भी लगे हैं, जिससे पुलिसकर्मी आपातकालीन स्थितियों में घोषणा कर सकें या जन-जागरूकता अभियान चला सकें।

इन 20 दो पहिया वाहनों को शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, विशेष रूप से पिक ऑवर, त्योहारों और अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर। इनका उद्देश्य रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाना और ट्रैफिक में जहां बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पातीं, वहाँ सुचारु पेट्रोलिंग सुनिश्चित करना है । शेष बचे हुए दो पहिया वाहनों का आधुनिकीकरण चल रहा है, शत प्रतिशत वाहनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

पुलिस आयुक्त महोदय ने आगे बताया कि यह पहल स्मार्ट और संवेदनशील पुलिसिंग की दिशा में एक आरंभ है। **"हम तकनीक आधारित, जनता के साथ विश्वास पर आधारित एक नई पुलिसिंग प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। ये नई पेट्रोल मोटर साइकिल उसी दिशा में एक मजबूत कदम हैं।"** उन्होंने कहा इस पहल को आमजन और पुलिसकर्मियों दोनों ने सराहा है और इसे एक प्रगतिशील और प्रभावी कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस अवसर पर गाज़ियाबाद पुलिस आयुक्त श्री जे. रविन्दर गौड़, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री आलोक प्रियदर्शी, पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन जोन श्री निमिष पाटिल तथा सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम श्री अभिषेक श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

श्रीमान पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय द्वारा दिनांक 04.08.2025 को थाना इन्दिरापुरम का भ्रमण किया गया।

श्रीमान जे. रविन्दर गौड़ पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा ट्रांस हिंडन जोन के थाना इन्दिरापुरम का भ्रमण किया गया। जिसमें श्री आलोक प्रियदर्शी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं कानून-व्यवस्था, श्री निमिष पाटील पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन जोन, श्री अभिषेक श्रीवास्तव सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम एवं श्री रविन्द्र गौतम प्रभारी निरीक्षक इन्दिरापुरम उपस्थित रहे। श्रीमान पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर भ्रमण के दौरान थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, अभिलेखों आदि को चेक किया गया। श्रीमान पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक इन्दिरापुरम को जनता केंद्रित (Citizen Centric) पुलिसिंग की दिशा में एक पहल के अन्तर्गत आगन्तुकों/शिकायतकर्ताओं के साथ मृदुल व्यवहार रखते हुए उनकी शिकायत पर त्वरित एवं तत्परता से कार्यवाही करने हेतु व अन्य निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिए गये -

- कार्यालय/बैरिक/थाना परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना है।
- थाने पर तैनात अधिकारीगण के लिए बैठने की जगह होनी चाहिए।
- थाने पर वेटिंग एरिया होना चाहिए।
- थाने पर लगे सभी कैमरे चालू हालत में होने चाहिए तथा रिकार्डिंग का रिकार्ड सुरक्षित होना चाहिए।
- पानी व लाइट की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।

- डाक ऑफिस, माल खाना व सीसीटीएनएस ऑफिस में अभियोगों से सम्बन्धित दस्तावेज, माल व उपकरणों का रख-रखाव ठीक होना चाहिए।
- सभी अभियोग से सम्बन्धित रिकार्ड अपडेट होने चाहिए।
- निरीक्षण के दौरान अन्य दिशा-निर्देश भी दिये गये।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 03.08.2025 को वादिया द्वारा थाना मोदीनगर पर नामजद तहरीर दी गयी कि मेरे पुत्र उम्र करीब 11 वर्ष के साथ गलत काम (कुकर्म) किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा ¾ पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 04.08.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित नामजद बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले है तथा एक दूसरे को जानते है, मौका पाकर मेरे द्वारा पीडित के साथ गलत काम (कुकर्म) किया गया।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 10000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 04.08.2025 को साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक नितिन कुमार शर्मा नि० मधन० 265 थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 10000/- रू0 वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साईबर क्राइम अपराधियों के विरूध्द की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाचाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से दिनांक 04.08.2025 को नितिन नि० म०न० 265 थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 10000/-रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 04.08.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट करें।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

धाना विजयनगर साइबर सेल